शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट- सराहनीय कार्य दिनांक:14.11.2024

थाना रोजा पुलिस द्वारा मोटर साइकिल चोरी मे वांछित अभियुक्त को मय चोरी की गयी मोटर साइकिल सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशनुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रोजा के नेतृत्व मे थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित चोर को आज दिनांक 14.11.2024 को एक अदद मोटरसाईकिल नं0 UP27BM9665 के साथ करीब 11.00 बजे टेढी पुलिया के पास निकट पडरा सिकन्दरपुर से किया गिरफ्तार । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 04.10.2024 को श्री रोशन गौतम पुत्र श्री फूलचन्द निवासी ग्राम सरसवां थाना रोजा जिला शाहजहाँपुर की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 621/2024 धारा 305 बी.एन.एस थाना स्थानीय पर बनाम 1. नीरज पुत्र छुट्टा निवासी ग्राम सरसवां थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर 2. जितेन्द्र पुत्र रामदास निवासी ग्राम आटा बुजुर्ग थाना से0म0द0 जनपद शाहजहाँपुर के विरूद्ध वादी की मोटरसाईकिल स्पेलन्डर रंग सिल्वर UP27 BM 9665 चोरी कर लेने के संबंध में पंजीकृत कराया था। मुकदमा उपरोक्त मे वांछित चल रहे अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त को आज दिनांक 14.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर टेढ़ी पुलिया के पास से समय करीब 11.00 बजे मय चोरी की गयी मोटरसाईकिल स्पेलन्डर रंग सिल्वर UP27 BM 9665 सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. जितेन्द्र पुत्र रामदास निवासी ग्राम आटा बुजुर्ग थाना से0म0द0 जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 30 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः –

1. मु0अ0सं0 621/2024 धारा 305 ,317(2) BNS थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी समय व स्थान -

दिनांक 14/11/2024 को समय करीब 11.00 बजे टेड़ी पुलिया (निकट ग्राम पडरा सिकन्दरपुर) के पास से

अपराधिक इतिहास अभियुक्त जितेन्द्र :-

1. मु0अ0सं0 621/2024 धारा 305 ,317(2) BNS थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण –

1.मोटरसाईकिल स्पेलन्डर रंग सिल्वर UP27 BM 9665

गिरफ्तारी टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक रोजा श्री राजीव कुमार

2. उ0नि0 श्री प्रांजल सिंह
3. का0 2528 दीप नागर
4. का0 2449 विकास नागर

पूछताछ विवरण:-

अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र रामदास निवासी ग्राम आटा बुजुर्ग थाना से0म0द0 जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 30 वर्ष ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब मै लकडी काटने का काम करता हु ।मेरी जान पहचान सरसवाँ गाँव के रहने वाले रोशन गौतम के साथ हो गयी थी कुछ दिन तक वह भी मेरे साथ लकड़ी कटाने का काम करता था लेकिन कुछ दिन बाद वह मेरे साथ काम छोड़कर दिल्ली चला गया ।लेकिन जब वह मेरे साथ काम करता था तो मै उसके साथ उसके घर आता जाता था उसके घर के लोकेशन के बारे मे मैं जानता था कि कौन कहा सोता है कहा रहता है रोशन के घर मे एक मोटरसाईकिल थी जो उसकी शादी मे मिली थी उसे देखकर मेरी नियत खराब हो गयी थी जिसे मैने चुराने का मन बना लिया था और मैने उसे दिनांक 10/09/24 की रात को करीब 01 बजे के आस पास ही अकेले ही उसके घर चला गया और उसके मकान की चारदिवारी जो करीब 08 फिट के आस पास की है फांदकर उसके घर मे घुस गया और घर के अन्दर बने कमरे के बाहर बरामदे मे खडीं मोटरसाईकिल का लाक तोड़कर उसके घर मे लगे दरवाजे जिसमे अन्दर से ताला बन्द नही था अन्दर से केवल कुन्डी लगी थी उसे खोलकर मोटरसाईकिल चुरा कर लेकर चला गया था ।जिसे आज मै लक़डी काटने के लिए जा रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया ।साहब घटना के दिन मै अकेले ही था और मेरे साथ कोई और नही था ।